

राजस्थान सरकार
कार्यालय, जिला रसद अधिकारी, अजमेर

क्रमांक:- रसद./अभियोजन/6ए/2025-26/4334

दिनांक 27/6/2025

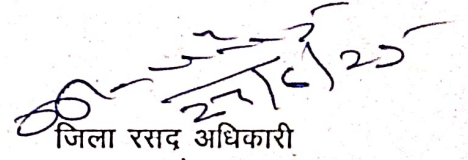
सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायलय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेशों की पालना में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए.के अन्तर्गत पेट्रोलियम (वायोडीजल) पदार्थ की खुली नीलामी द्वारा जहाँ हैं जैसी स्थिति में है का नीलामी से विक्रय किया जाना है। बोली दाता के पास पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, विक्रय एवं भण्डारण का विधि सम्मत अनुज्ञा पत्र होना आवश्यक है। नीलामी योग्य सामग्री का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	फर्म का नाम व नीलामी स्थल	नीलामी दिनांक एवं समय	वस्तु का नाम/मात्रा प्रकरण संख्या	अनुमानित बाजार मूल्य	धरोहर राशि (रुपये)
1	मैसर्स अन्नू ट्रोली व अन्य पालरा इण्डस्ट्रीयल एरिया पालरा अजमेर पुलिसा थाना आदर्श नगर अजमेर।	08.07.2025 मध्यान्ह 11.000 बजे	जब्तशुदा पेट्रोलियम (वायोडीजल) पदार्थ 1590 लीटर प्रकरण सं. 01/2022	1,11,300 रुपये जीएसटी सहित	2226/-

नोट :-

- नीलामी से पूर्व बोलीदाता को निर्धारित धरोहर राशि जिला रसद अधिकारी अजमेर के नाम से जारी ड्राफ्ट/बैंकर चैक/ नगद जमा करवानी होगी।
- बोली से पूर्व बोलीदाता नीलामी योग्य पेट्रोलियम पदार्थ का निरीक्षण कर सकता है।
- नीलामी की सूचना विभाग की वेबसाईट <http://www-food.raj.nic.in> पर देखी जा सकती है।
- नीलामी के सदर्थ में अन्य किसी भी जानकारी एवं अन्य शर्तों हेतु जिला रसद अधिकारी अजमेर में कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

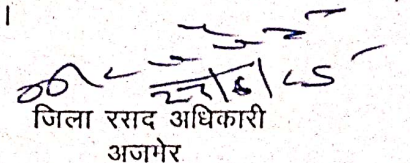

जिला रसद अधिकारी
अजमेर

क्रमांक:- रसद./अभियोजन/6ए/2025-26/4335-4348

दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि :

- श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य. एवं नागरीक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
- श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य. एवं नागरीक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है विभागीय प्रतिनिधि नीलामी दिनांक को भिजवाने की कृपा करावें।
- तकनीकी निदेशक एन.आई.सी. खाद्य एवं नागरीक आपूर्ति विभाग, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि नीलामी सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
- श्रीमान वित्तीय सलाहकार महोदय, खाद्य. एवं नागरीक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर।
- श्रीमान अतिरिक्त कलक्टर महोदय अजमेर।
- श्रीमान कोषाधिकारी कोषालय अजमेर को नीलामी दिनांक को अपना प्रतिनिधि भिजवाने का श्रम करावें।
- जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।
- प्रभारी अधिकारी अभियोजन शाखा कार्यालय हाजा को माल की सुपुर्दगी हेतु।
- स्टोर कीपर कार्यालय हाजा।
- केशियर कार्यालय हाजा को देकर लेख है कि नीलामी स्थल पर जी.ए.55 युक्त एवं आवश्यक कार्यालय सामग्री लेकर प्रस्तुत होवें।
- थानाधिकारी पुलिस थाना आदर्शनगर जिला अजमेर को भेजकर लेख है कि उक्त दिनांक को नीलामी एवं माल सुपुर्दगी हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
- श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी/श्रीमती सोनल गर्ग प्रवर्तन निरीक्षक उक्त नीलामी हेतु थानाधिकारी से सम्पर्क कर नीलामी दिनांक को आवश्यक कार्यवाही करावें।


जिला रसद अधिकारी
अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय, जिला रसद अधिकारी अजमेर

नीलामी की अन्य शर्तें

1. नीलामी से पूर्व बोली दाता को निर्धारित धरोहर राशि जिला रसद अधिकारी अजमेर के नाम से जारी ड्राफ्ट / बैंक चेक / नकद जमा करवानी होगी ।
2. बोली से पूर्व बोलीदाता पेट्रोलियम पदार्थ की बाली से पूर्व नीलामी स्थल का निरीक्षण कर सकता है ।
3. नीलामी के संदर्भ में अन्य किसी भी जानकारी एवं अन्य शर्तों हेतु जिला रसद अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है ।
4. नीलामी की सूचना विभाग की वेबसाईट <http://www.food.raj.nic.in> पर देखी जा सकती है ।
5. बोलीदाता के पास विधि सम्मत अनुज्ञा-पत्र होना आवश्यक है ।
6. राज्य सरकार / जिला कलक्टर द्वारा गठित कमेटी के समक्ष नीलामी की जावेगी ।
7. डाक-तार-दुरभाष, ई-मेल द्वारा बोली मान्य नहीं होगी ।
8. उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में बोली छुटने पर बोलीदाता को कुल कीमत का 1/2 भाग राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी तथा 1/2 राशि बोली स्वीकृति के तीन दिवस में जमा करवाकर माल सुपुर्दगी पर प्राप्त करना होगा । सुपुर्दगी पत्र जारी होने के बाद तत्काल माल अपने कब्जे में लेना होगा निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करवाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी ।
9. सफल बोलीदाता को केन्द्र / राज्य सरकार के नियमानुसार समस्त कर (आयकर / जीएसटी / वेट) इत्यादि जो भी देय हो देना होगा ।
10. पेट्रोलियम पदार्थ उठाने तक का समस्त खर्चा (जहाँ पदार्थ पड़ा है) सफल बोलीदाता को वहन करना होगा ।
11. किसी भी बोली को स्वीकार / निरस्त करने का अधिकार नीलामी कमेटी को होगा ।
12. पेट्रोलियम पदार्थ खरीद के पश्चात् बोलीदाता द्वारा उक्त पदार्थ का विधि संम्वत प्रयोग करेगा एवं प्रयोग के पश्चात End Use certificate जिला रसद अधिकारी अजमेर को प्रस्तुत करना होगा ।
13. न्याय क्षेत्र अजमेर होगा ।